

2022/208

प्रपत्र-6

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम तहनाल की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 398 में मेरा नाम देवकिशन पुत्र खेमराज खेमा दर्ज है जो कि सही है जबकि खातेदार का नाम मेरा नाम देवकिशन पुत्र खेमराज दर्ज है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

अतः श्रीमान् जी से निवेदन है कि मेरा नाम देवकिशन पुत्र खेमा के नाम देवकिशन पुत्र खेमराज करवाने की कृपा प्रार्थी दिनांक:-

(देवकिशन)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम तहनाल के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 के खाता संख्या 398 में प्रार्थी का नाम देवकिशन पुत्र खेमा दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न खातेदार का नाम व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम देवकिशन पुत्र खेमराज है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भू0अ0नि0 तहनाल

पटवारी
पटवार मण्डल
तह.शाहपुरा (भीलवाड़ा)

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी तहनाल व भू0अ0नि0 तहनाल एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम तहनाल की जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2079 की खाता संख्या 398 में प्रार्थी का नाम देवकिशन पुत्र खेमा के बजाय देवकिशन पुत्र खेमराज किये जाने हेतु अभिशंषा की जाती है।

तहसीलदार वासुदेव तहसीलदार
शाहपुरा(भीलवाड़ा)

905/12/26
01/06/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम तहनाल जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 खाता संख्या 398 में दर्ज प्रार्थी का नाम देवकिशन पुत्र खेमा के स्थान पर देवकिशन पुत्र खेमराज संशोधन के

आदेश दिये जाते है।



उपखण्ड अधिकारी
प्रभारी अधिकारी शाहपुरा(भील0)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)